

दो बजे दोपहर

मुंबई, नवी मुंबई, ठाणे, पालघर, रायगढ़, नासिक, पुणे से एक साथ प्रकाशित
पत्रकारिता पावर नहीं रिस्पांसिबिलिटी है



संजय राउत को राहत, कोर्ट ने दी जमानत

30 दिन के लिए सजा पर रोक

अमित बज्र | मुंबई

भ्रष्टाचार के मामले में दोषी पाए गए उद्धव ठाकरे गुट के सांसद संजय राउत को कोर्ट ने 15 दिन की जेल की सजा सुनाई है। हालांकि अब राउत को बड़ी राहत मिली है। संजय राउत को मजिस्ट्रेट अदालत ने आंशिक रूप से बरी कर दिया है और सत्र अदालत के फैसले के खिलाफ अपील करने के लिए सजा को 30 दिनों के लिए स्थगित कर दिया गया है। कोर्ट ने 15 हजार के मुचलके पर ये जमानत दी है।

संजय राउत को 15 दिन की जेल

शिवसेना के राज्यसभा सांसद संजय राउत और उद्धव बालासाहेब ठाकरे को शिवडी सिटी मजिस्ट्रेट ने 15 दिन की सजा सुनाई है। इसके साथ ही उन पर 25 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। कोर्ट ने आईपीसी की धारा 500 के तहत राउत को दोषी ठहराया। कोर्ट की ओर से सजा सुनाए जाने के बाद कोर्ट के बाहर हिरासत में लिए जाने पर शांत बैठे राउत ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अब मैं जेल जाऊंगा।

30 दिन की सजा पर रोक

इस बीच राउत के वकील और उनके भाई सुनील राउत ने कहा कि हमने जमानत के लिए अर्जी दायर की है। हम इस सजा के खिलाफ बोम्बे सेशन कोर्ट में अपील करेंगे। तब तक राउत के वकीलों की ओर से दायर एक आवेदन पर अदालत ने सजा पर 30 दिनों के लिए रोक लगा दी। साथ ही 15,000 मुचलका पर जमानत भी दे दी।

सजा क्यों दी गई?

महाराष्ट्र मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट का यह आदेश मेधा सोमैया की ओर से संजय राउत के खिलाफ दायर दो साल पुराने मानहानि के मुकदमे में आया है। राउत ने मेधा सोमैया पर और उनके एनजीओ युवा प्रतिष्ठान पर 100 करोड़ रुपए के शौचालय घोटाले का आरोप लगाया था। संजय राउत ने कहा कि उन्होंने शौचालय निर्माण के मुद्दे पर संदेह जताते हुए कुछ आधिकारिक रिकॉर्ड्स के आधार पर केवल कुछ सवाल उठाए थे, जिसका सतारुद्ध महायुति गठबंधन के नेताओं ने भी समर्थन किया था।

बारिश के दौरान खुले मैनहोल में गिरने से महिला की मौत हादसा या सिस्टम का फेलियर?



धीरज सिंह | मुंबई

महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में बुधवार को भारी बारिश के बीच अंधेरी ईस्ट में एक खुले मैनहोल में गिरने से 45 साल की महिला की मौत हो गई। विमल गायकवाड़ नाम की महिला काम से घर लौट रही थी इसी दौरान सड़क पार करते समय डिवाइडर के बीच में बने खुले नाले में गिर गईं। नाला गहरा होने के वजह से महिला 70 मीटर आगे तक बह गईं। एक से डेढ़ घंटे का सर्च ऑपरेशन के बाद फायर ब्रिगेड की टीम ने महिला को बाहर निकाला। उसे कूपर हॉस्पिटल पहुंचाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने महिला को मृत घोषित कर दिया।

मुंबई नगर निकाय और ठेकेदार पर मामला दर्ज

मृतका के पति ने मुंबई नगर निकाय और ठेकेदार पर मामला दर्ज कराया है। विमला गायकवाड़ पति से रहती थीं। वो पेशे से सिक्योरिटी गार्ड थीं। बुधवार को विमला बारिश के बीच काम से लौट रही थीं। अंधेरी ईस्ट में लबालब पानी से भरे सीज इलाके में खुला मैनहोल उनकी मौत का कारण बना। विमला अपने परिवार में एकमात्र कमाने वाली थीं। उनके पति अपाशा गायकवाड़ कहते हैं, 'मैं बीमार रहता हूँ। मेरा घर मेरी पत्नी संभालती थी। हमारा सब कुछ चला गया। मैं चाहता हूँ कि जिस की गलती है, उसको सजा मिलनी चाहिए। हमने शिकायत दर्ज करवायी है।'

वया कहती है पुलिस?

मुंबई पुलिस के DCP मंगेश शिंदे कहते हैं, 'बुधवार रात सीज गेट के सामने एक डिवाइडर के बीच में बने मैनहोल में गिरने से एक महिला की मौत हो गई। इस मामले में हमने ADR दायर की है। आगे की जांच की जा रही है।'

BMC ने दिया लेवल इन्वॉयरी का आदेश

महिला की मौत के बाद BMC ने हाई लेवल इन्वॉयरी का आदेश दिया। BMC ने लिखित बयान में बताया कि उप नगर आयुक्त (जोन 3) देवीदास क्षीरसागर की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय समिति तीन दिनों के भीतर घटना पर अपनी रिपोर्ट सौंपेगी।

राजनीति भी शुरू

मैनहोल में डूबकर हुई इस मौत पर सियासी हंगामा भी छिड़ा। शिवसेना (UBT) नेता आदित्य ठाकरे ने शिंदे सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। आदित्य ठाकरे ने कहा कि नगर विकास विभाग असंवैधानिक मुख्यमंत्री के पास है, जिन्हें ना तो शर्म है और ना ही उनके पास क्षमता है। शिंदे पृष्ठ रहे थे कि इस बार कहीं पानी भरा क्या? फिर देखिए आधे घंटे के अंदर मुंबई में क्या हुआ? इस पूरे मामले में शिंदे गुट भी अपने बचाव में उतर आया है। जबकि BJP ने विपक्ष को उनके कार्यकाल में हुई ऐसी पुरानी मौतों की याद दिलाई।

आदेश को जल्द ही हाईकोर्ट में चुनौती देंगे

उन्होंने आगे कहा कि इसलिए मैंने कोई मानहानि कहां की है। शिवसेना (यूबीटी) के नेता ने कहा कि वह मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट के सजा के आदेश को जल्द ही हाईकोर्ट में चुनौती देंगे। मेधा सोमैया ने कोर्ट के फैसले पर प्रसन्नता व्यक्त की और कहा कि न्यायपालिका में उनका विश्वास कायम हुआ है।



मैं अदालत के फैसले से संतुष्ट: सोमैया

मेधा सोमैया ने मीडियाकर्मीयों से कहा कि मैं एक साधारण गृहिणी हूँ, समाज सेवा और शैक्षणिक गतिविधियों में लगी हुई हूँ, लेकिन जो कोई भी मेरे परिवार के सदस्यों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा, मैं उससे लड़ूंगी। मैं अदालत के फैसले से संतुष्ट हूँ। यह अन्य लोगों को इस तरह के बेतुके आरोप लगाने से रोकेगा।

यूपीएससी परीक्षा में घोखाधड़ी मामला

गिरफ्तार नहीं होगी पूजा खेडकर

नई दिल्ली/मुंबई। यूपीएससी परीक्षा में घोखाधड़ी और अपनी अग्रिम जमानत याचिका के संबंध में गलत बयान देकर झूठी गवाही देने के आरोपों के बीच दिल्ली हाईकोर्ट से महाराष्ट्र केडर की बर्खास्त आईएसएस पूजा खेडकर को गिरफ्तारी से एक हफ्ते तक राहत मिली है। कोर्ट ने गुरुवार को खेडकर का गिरफ्तारी से अंतरिम संरक्षण 4 अक्टूबर तक बढ़ा दिया है। दरअसल, पूजा खेडकर को पिछली बार गिरफ्तारी से मिली अंतरिम राहत गुरुवार को खत्म हो रही थी। पूजा खेडकर की तरफ से कोर्ट से आज 15 दिन की माहलत मांगी गई थी, लेकिन न्यायमूर्ति चंद्र धारी सिंह की बेच ने सुनवाई के दौरान उन्हें सिर्फ एक हफ्ते की मोहलत दी है।


त्योहारों से पहले कामगारों को सरकार का तोहफा

नई दिल्ली। त्योहारों से पहले सरकार ने कामगारों खासकर असंगठित सेक्टर के श्रमिकों को बड़ा तोहफा दिया है। केंद्र सरकार ने इस सेक्टर में काम करने वाले मजदूरों के लिए न्यूनतम मजदूरी दर बढ़ाने का एलान किया है। सरकार ने महंगाई के कारण जीवनयापन के बढ़ते खर्च को देखते हुए यह एलान किया है। नई दरें 1 अक्टूबर 2024 से लागू होंगी। सरकार ने परिवर्तशील महंगाई भत्ते (वीडीए) में संशोधन करके न्यूनतम मजदूरी दरों में वृद्धि की घोषणा की है। इस कदम का उद्देश्य श्रमिकों को जीवन-यापन की बढ़ती लागत से निपटने में मदद करना है। केंद्रीय क्षेत्र के प्रतिष्ठानों में भवन निर्माण, लोडिंग और अनलोडिंग, वॉच एंड वार्ड, स्वीपिंग, सफाई, हाउसकीपिंग, खनन और कृषि सहित विभिन्न क्षेत्रों में लगे श्रमिकों को संशोधित मजदूरी दरों से लाभ मिलेगा। नई मजदूरी दरें 1 अक्टूबर, 2024 से लागू होंगी। पिछला संशोधन अप्रैल 2024 में किया गया था। न्यूनतम मजदूरी दरों को कौशल स्तर-अकुशल, अर्ध-कुशल, कुशल और उच्च कुशल के साथ-साथ भौगोलिक क्षेत्र- ए, बी और सी के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। संशोधन के पश्चात क्षेत्र 'ए' में निर्माण, झाड़ू, सफाई, लोडिंग व अनलोडिंग में कार्यरत अकुशल श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी दर 783 रुपए प्रतिदिन (20,358 रुपए प्रतिमाह) अर्द्धकुशल के लिए 868 रुपए प्रतिदिन (22,568 रुपए प्रतिमाह) कुशल, लिपिक और शस्त्र रहित चौकीदार के लिए 954 रुपए प्रतिदिन (24,804 रुपए प्रतिमाह) तथा उच्च कुशल एवं शस्त्र सहित चौकीदार के लिए 1,035 रुपए प्रतिदिन (26,910 रुपए प्रतिमाह) होगी।


लाभ मिलेगा। नई मजदूरी दरें 1 अक्टूबर, 2024 से लागू होंगी। पिछला संशोधन अप्रैल 2024 में किया गया था। न्यूनतम मजदूरी दरों को कौशल स्तर-अकुशल, अर्ध-कुशल, कुशल और उच्च कुशल के साथ-साथ भौगोलिक क्षेत्र- ए, बी और सी के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। संशोधन के पश्चात क्षेत्र 'ए' में निर्माण, झाड़ू, सफाई, लोडिंग व अनलोडिंग में कार्यरत अकुशल श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी दर 783 रुपए प्रतिदिन (20,358 रुपए प्रतिमाह) अर्द्धकुशल के लिए 868 रुपए प्रतिदिन (22,568 रुपए प्रतिमाह) कुशल, लिपिक और शस्त्र रहित चौकीदार के लिए 954 रुपए प्रतिदिन (24,804 रुपए प्रतिमाह) तथा उच्च कुशल एवं शस्त्र सहित चौकीदार के लिए 1,035 रुपए प्रतिदिन (26,910 रुपए प्रतिमाह) होगी।

खरब वेल्डिंग और जंग की वजह से ढही थी शिवाजी महाराज की मूर्ति


सिंधुदुर्ग। सिंधुदुर्ग के राजकोट किले में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा ढहने के मामले में भारतीय नौसेना और राज्य सरकार द्वारा गठित की गई जांच समिति ने 16 पन्नों की रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंप दी है। इस रिपोर्ट में शिवाजी महाराज की मूर्ति के ढहने के मामले में कई चौकाने वाले खुलासे हुए हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि मूर्ति की संरचना इतनी मजबूत नहीं थी कि वह 33 फीट ऊंची मूर्ति का वजन सह सके। इसके अलावा मूर्ति में वेल्डिंग और जंग लगने के कारण भी बताया गए हैं। नौसेना के पूर्व अधिकारी पवन डोंगरा की अध्यक्षता में बनी समिति की रिपोर्ट में बताया गया है कि समिति की प्रारंभिक जांच में पता लगा है कि मूर्ति में सही तरीके से वेल्डिंग नहीं किया गया था। इसके अलावा कई जगह मूर्ति में जंग भी लग गई थी। ठीक से रखरखाव नहीं करने के अभाव में मूर्ति ढह गई थी।




Narendra Modi
Prime Minister




सत्यमेव जयते
GOVERNMENT OF
MAHARASHTRA




DIRECTORATE
MAHARASHTRA
TOURISM




WORLD
TOURISM
DAY 2024
TOURISM
AND PEACE



UN Tourism
UNITED NATIONS
WORLD TOURISM ORGANIZATION




Eknath Shinde
Chief Minister




Elephanta Caves: A UNESCO World Heritage site near Mumbai, these 6th-century rock-cut caves showcase India's artistic heritage. The centerpiece is the 7-meter "Sadashiva" sculpture, depicting Shiva as Creator, Preserver, and Destroyer. The caves are a stunning example of western India's rock-architecture.


*This World Tourism Day,
let's make every journey
a step towards a peaceful tomorrow.*




Eknath Shinde
Chief Minister




Devendra Fadnavis
Dy. Chief Minister



Ajit Pawar
Dy. Chief Minister



Girish Mahajan
Tourism Minister



Scan for bookings & reservations.

To know more: Send 'Hi' to @+91 9403878864
Follow us on: MaharashtraTourism @maha_tourism
maharashtratourismofficial diot@maharashtratourism.gov.in
www.maharashtratourism.gov.in
For bookings and reservations: mahabooking.com

Directorate of Tourism, Tourism Department, Govt. of Maharashtra

